न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/104/18	21–08–2018	05–11–2019

01. सन्तोष कुमार मीणा पुत्र राम प्रताप मीणा उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग टोडाजयसिंह पुरा ग्राम पंचायत टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर। (मृतक)

02. श्रीमती बिन्दो देवी मीणा पत्नी स्व0 सन्तोष कुमार मीणा उ0म0दू0 टोडाजयसिंह पुरा ग्राम पंचायत टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 05–05–2015 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1134/2002 प्रकरण संख्या 14/54/14

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 05–05–2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1134/2002 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा आलौच्च निर्णय एकतरफा में पारित किया है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत टोडाजयसिंहपुरा में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/2 भाग में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है। जिसका प्राधिकार पत्र सं0 1134/02 जो वर्ष 2002 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.5.14 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के मौके पर आकर कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई है। प्रवर्तन अधिकारी दिनांक 12.5.14 को तथाकथित जांच रिपोर्ट एजाज मोहम्मद निवासी खोहदरीबा के द्वारा लोकायुक्त राजस्थान के यहॉ ग्राम पंचायत खोहदरीबा के सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी राजगड, उप खण्ड अधिकारी राजगढ एवं खोहदरीबा के उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्व शिकायत कीं गई थी जो शिकायत मुख्यतः ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के विरूद्व थी। प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के द्वारा एजाज अहमद के द्वारा लोकायुक्त के समक्ष की गई शिकायत की वजह से दबाव में आकर ग्राम पंचायत खोहदरीबा के 2 राशन डीलर एवं अटैचमेन्ट डीलर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तत्समय निलंबित कर दिया गया। जिसमें मोतीशंकर उ0म0दू0 1/2 भाग एवं प्रहलाद मीणा उ0म0दू0 1/2 भाग खोहदरीबा के प्राधिकार पत्र पूर्व में बहाल किये जा चुके है और अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आज तक बहाल नही किया गया है। रिपोर्ट में यह तथ्य आया कि ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं संबंधित विकास अधिकारी द्वारा अन्त्योदय के राशन कार्डो की सूचना बार–बार कम एवं

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

ज्यादा की गई है जिसमें अपीलान्ट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत टोडाजयसिंहपुरा के अन्तर्गत 1/2 भाग का उचित मूल्य दूकानदार है अपीलान्ट ग्राम पंचायत खोहदरीबा का अटैचमेन्ट मात्र 3 माह के लिए जिला रसद अधिकारी के आदेश से रहा है। अपीलान्ट 1/2 ग्राम पंचायत टोडाजयसिंहपुरा एवं 3 माह की के दौरान अटैचमेन्ट 1/2 भाग ग्राम खोहदरीबा के किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है ना ही किसी प्रकार की कोई जांच अपीलान्ट के विरूद्व की गई है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बेजा रूप से आलोच्य आदेश दिनांक 5.5.15 से निलंबित किया गया था, जिसे 90 दिन की निलम्बन अवधि के पश्चात बहाल नही किया गया है। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश जारी करने के पश्चात बार बार यह कहा गया कि अपीलान्ट का प्रकरण लोकायुक्त में चल रहा है जिस कारण से वो अपीलान्ट का निलंबित प्राधिकार पत्र बहाल नही करेगे एवं प्रकरण का निस्तारण नहीं करेगें। अपीलान्ट लोकायुक्त को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति तहत अदालत को भी पेश किया गया थी। एजाज अहमद की शिकायत के बारे में जांच की गई जिस जांच में अपीलान्ट एवं अन्य उचित मूल्य दुकानदारों को दोषी नहीं पाया गया सरपंच, सचिव एवं संबंधित विकास अधिकारी की अनियमितता पाई गई इन तथ्यो को भी अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष आलोच्य आदेश पारित करने के पश्चात विस्तृत रूप से जाहिर किया गया। लोकायुक्त के यहॉ विचाराधीन रहा प्रकरण वर्तमान में समाप्त हो चुका है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिए था केवल 90 दिन तक प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता उसके उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। प्रमुख शासन सचिव खाध नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.9.2008 एवं 7.7.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया है। प्राधिकार पत्र निलम्बित चल रहा है जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु तहत अदालत द्वारा आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.15 से जानकारी दिनांक 9.8.18 जिस कारण से आलोच्य आदेश से अपील पेश करने के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक है, एवं कानूनी सलाह लेकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि उपभोक्ताओं की शिकायत व जांच के आधार पर प्राधिकार पत्र दिनांक 5.5.15 को निलम्बित किया गया। डीलर द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है, डीलर द्वारा की गई अनियमितताऐं राजस्थान खाधान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधन होने के कारण निलम्बित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 05–05–2015 के विरूद्ध दिनांक 21–08–2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 09–08–2018 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई

साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य का मौका दिए बिना एकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। कानूनन 90 दिनों के पश्चात निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिए था केवल 90 दिन तक प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता उसके उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। प्रमुख शासन सचिव खाध नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.9.2008 एवं 7.7.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया है। प्राधिकार पत्र निलम्बित चल रहा है जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु तहत अदालत द्वारा आलौच्च निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट वकील द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत के कार्यालय आदेश क्रमांक 3205 दिनांक 5.5.15 का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 3641 दिनांक 15.5.14 के द्वारा माह जुलाई 2012 से फरवरी 2013 में अन्त्योदय अन्न योजना का गेहूँ उठाव व वितरण की सूचना तथा वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर कार्यालय में प्रस्तुत नही करने के कारण अपीलार्थी द्वारा तहत अदालत को संतोषप्रद जवाब/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे है कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है। अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता राजस्थान खाघान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है। जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया, निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि तहत अदालत में अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 5–5–2015 को यथावत् रखे जाते है। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)